# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 19/23 ( विविध प्रार्थना पत्र )
जीसीएमएस नम्बर : 2023/80

1. श्री गोपाल सिंह पिता भुरसिंह राव निवासी मरतड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....प्रार्थी

## बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग चेतक सर्कल उदयपुर।

.....विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री ओमप्रकाश डागलीया , अधिवक्ता प्रार्थी।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम – 1956

## निर्णय

**दिनांक : 08.04.2025**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के परिवार के नाम पर ग्राम मरतड़ी, पटवार मण्डल बड़ियार, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०) मे स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा संख्या 96, 97, 98, 99, 103, 105, 107, 109, 114, 115, 117 एवं 118 कुल किता 12 बारह, कुल क्षेत्रफल 16.18 सोलह बीघा अठारह बिस्वा मुझ प्रार्थी के परिवार मे दर्ज होकर जिसके पुराने नम्बर 66, 67, 70, 71, 75, 76, 81, 83, 69 व 73 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 13.12 तेरह बीघा बारह बिस्वा जमीन दर्ज थी, उक्त आराजीयात मुताबिक आदेश श्रीमान् एस.डी.ओ. सा. ने 363/25–05–1970 के अनुसार सिंचाई विभाग के नाम से निरस्त कर भूरसिंह वगैरा का इन्द्राज किया गया था। उक्त आदेश के अनुसार ही 65/1 क्षेत्रफल 0.04 चार बिस्वा जो भूरसिंह पिता किशौरसिंह, नारायणसिंह, किसनसिंह, शंकरसिंह पिता पृथ्वीसिंह राव 2/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा, बिलानाम सिंचाई विभाग 1/3 दर्ज है, जिसके नए नम्बर आ.चा. 95 रकबा 0. 05 पाँच बिस्वा दर्ज हुआ है किन्तु वर्तमान मे उक्त आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा सिंचाई विभाग के खातेदारी मे दर्ज हो गया है। हमारे सजरा खानदान मे भूरसिंह पिता किशौरसिंह ने अपने जीवनकाल मे मुझ प्रार्थी के नाम पर रजिस्टर्ड वसीयत सम्पादित करवायी। उक्त वसीयत के आधार पर भूरसिंह का सम्पूर्ण हिस्सा आ.चा.नं. 95 का मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज कराने का अधिकारी हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:14 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि मि.नं. 56/69 दिनांक 16—09—1969 के आदेशानुसार आ.चा.नं. 65/1 क्षेत्रफल 0.04 चार बिस्वा मे भूरसिंह पिता किशौरसिंह, नारायणसिंह, किसनसिंह, शंकरसिंह पिता पृथ्वीसिंह राव के नाम 2/3 हिस्सा दर्ज करने का आदेश हुआ उक्त आदेशानुसार नामान्तकरण पंजिका ग्राम मरतड़ी, तहसील मावली मे दिनांक 24—09—1969 को दर्ज है, किन्तु उक्त आ.चा.नं. 95 क्षेत्रफल 0.05 पाँच बिस्वा का सम्पूर्ण हिस्सा सिंचाई विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया जबकि उक्त वर्णित आराजीयात मे भूरसिंह पिता किशौरसिंह का हिस्सा मुझ प्रार्थी के नाम पर दर्ज होना चाहिए था किन्तु सम्पूर्ण हिस्सा सिंचाई विभाग के नाम पर दर्ज हो गया है।
3. अंत में निवेदन किया की आराजी चा.नं. 65/1 क्षेत्रफल 0.04 चार बिस्वा, जिसके नए नम्बर आ.चा.नं. 95 क्षेत्रफल 0. 05 पाँच बिस्वा मे 1/3 हिस्सा मुझ प्रार्थी के नाम पर व 1/3 हिस्सा नारायणसिंह, किसनसिंह, शंकरसिंह पिता पृथ्वीसिंह राव व 1/3 हिस्सा सिंचाई विभाग के नाम पर दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।
4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदन पत्र में प्रार्थी साबिक आराजी नम्बर 65/1 रकबा 4 बिस्वा खाते कराना चाहता है जिस आवंटन मि.न. 56/69 दिनांक 16.09.69 को नाम पर दर्ज होना बताया है। संलग्न आदेश मी.न. 56/69 में साबिक आराजी नम्बर 65/2 रकबा 4 बिस्वा आ. चा. का आवंटन आदेश है। मरतड़ी की नामान्तरकरण संख्या 86 में आराजी नम्बर 65/1 अंकित है। प्रस्तुत खसरा पत्रक में साबिक आराजी नम्बर 65/1 के नवीन आराजी नम्बर 95 बनना अंकित है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आराजी नम्बर 65/1 रकबा 4 बिस्वा में कोई हक अधिकार व स्वत्व नही है तथा प्रार्थी ने 42 वर्ष के अन्तराल के बाद उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विधि सम्वत अवधि में नही होने से निरस्तनिय है। वर्तमान प्रावधानो के अनुसार मुआवजा प्राप्त भूमि पुनः खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान नही है। जिसमें भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी भी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।
5. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।
6. प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो एवं दस्तावेजो, विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलो, सलंगन राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन विधि के परिप्रेक्ष्य मे किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम मरतड़ी तहसील मावली का भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Puhadia
Date: 2025.05.26 12:05:14 IST
Reason: SelfAttested

—प्रबंध (सेटलमेंट) विभाग संवत 2023 का मिलान क्षेत्रफल अनुसार आराजी नम्बर 65/1 आ.चा. के हाल आराजी नम्बर 95 रकबा 5 बिस्वा किस्म आ.चा. अंकित है। इसके कॉलम संख्या 23 अनुसार गत भूमाप में उक्त भूमि भूरसिंह, प्रथीराज पिता किसोर 2/3 हि.ब. घासी पिता समरथ 1/3 सा. देह के नाम दर्ज थी। कॉलम संख्या 24 वर्तमान भूमाप अनुसार उक्त भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज की गई है। परन्तु उक्त भूमि को सिंचाई विभाग के नाम किस आदेश की गई है इस संबंध में कोई तथ्य अंकित नही है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रार्थी के पिता एवं परिवार के लोगो के नाम दर्ज थी। जिसको भू—प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के सिंचाई विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया। भू—प्रबंध विभाग के कर्मचारियो को ऐसा करने का कोई अधिकार नही था।

इस संबंध में राजस्व (ग्रुप—6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12)राज./6/92/26 दिनांक 20.12.95, जो मूलतः धारा 136, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 से जुड़ा है, व समस्त संभागीय आयुक्तगण एवं जिला कलक्टर्स को संबोधित है, में भी स्पष्ट किया गया है कि भू प्रबंध के दौरान भू प्रबंध कर्मचारी/अधिकारीयों द्वारा धारा 123 व 125 की आड में कब्जे के आधार पर खातेदारी भूमि को सिवाय चक/चारागाह या इसके विपरीत सिवाय चक चारागाह को खातेदारी में अंकित कर दिया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अनियमितताएं हुई है, जिनसे अनावश्यक मुकदमेबाजी भी बढी है और कब्जे के आधार पर ऐसे विवाद भी निर्णित कर दिये जाते थे, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नही थे। भू—प्रबंध के दौरान यदि बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के किसी की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी की कृषि भूमि को चारागाह/सिवाय चक/राजकीय भूमि दर्ज कर दिया गया है तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत भू—अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक कराया जा सकेगा।

उक्त परिपत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी या खातेदारी का जो भी अंकन भू—प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व का है, उसे नये रिकार्ड में दोहराया जाना चाहिए, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजात को बदलने का आदेश ना हो। भू प्रबंध विभाग को यह अधिकार नहीं है कि राजस्व रिकार्ड में आये इन्द्राजात को अपने स्तर पर बदले। यदि ऐसे इन्द्राजात भू प्रबंध विभाग के दौरान बदला जाता है तो उनकी इन्द्राज दुरस्ती धारा 136 एल.आर.ए. के अन्तर्गत की जा सकेगी।

निम्नांकित दृष्टांत को भी उद्धरत किया जाना उचित होगा, जो इस प्रकार है।

1996 आर.बी.जे. पृष्ठ 8 : ख्याली व अन्य बनाम स्टेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.05.26 12:05:14 IST
Reason: SelfAttested

ऑफ राजस्थान व अन्य (उच्च न्यायालय)

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 – SECTION 136

Wrong entry made during settlement operation can be corrected by Land Record Officer.

भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज भूमि को सिंचाई विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि भू–प्रबंध विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि की वसीयत मेरे पिता द्वारा मेरे नाम दर्ज कर दी गई। इसलिए उक्त भूमि में मेरे पिता के हिस्से को मेरे नाम दर्ज की जावे। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को ही सुधारा जा सकता है। इस धारा के तहत नए खातेदारी अधिकार नही दिए जा सकते है। इस प्रकरण में भू–प्रबंध से पूर्व प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी जिसे ठिक किया जाकर प्रार्थी के पिता के नाम ही दर्ज किया जा सकता है। प्रार्थी को अपने नाम कराने के लिए तहसीलदार के समक्ष दस्तावेजात प्रस्तुत विधि के अनुरूप नामान्तरकरण पारित करवाना होगा। अतः उपर्युक्त विवेचन एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.12.1995 तथा उद्धरत किये गये दृष्टांतो के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम – 1956 का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

## : : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम – 1956 को आशिंक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम मरतडी पटवार हल्का वडियार तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2054–57 के खाता संख्या 125 पर दर्ज आराजी नम्बर 95 रकबा 5 बिस्वा भूमि का राजस्व रिकार्ड में रद्दोबदल कर भू–प्रबंध के पूर्व स्थिति कायम करते हुए प्रार्थी के पिता भूरसिंह पिता किसोरसिंह के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज की जावे।

साथ ही तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु दस्तावेजात प्रस्तुत करता है तो दस्तावेजात की जांच कर नियमो में वर्णित प्रावधानो अनुसार नामान्तकरण पारित करना सुनिश्चित करें।

7. तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
8. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:14 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया ) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर